शाहजहाँपुर पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 08.06.2024

“थाना मदनापुर पुलिस द्वारा मुकदमे मे वांछित चल रहे अभियुक्त को अन्दर 24 घन्टे मे मय घटना में प्रयुक्त तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा कार0 315 बोर नाल में फसा हुआ के साथ किया गिरफ्तार।

श्री अशोक कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के निर्देशन मे वांछित अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे शाहजहाँपुर श्री संजय कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन मे व श्री अमित चौरसिया, क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक श्री अश्वनी कुमार के नेतृत्व मे गठित टीम के सदस्य उ0नि0 श्री उदयवीर सिंह मय फोर्स के थाना मदनापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 186/2024 धारा 307 भादवि मे नामजद अभियुक्त अजय सिंह पुत्र रतीपाल सिंह निवासी ग्राम सहजनपुर थाना मदनापुर जिला शाहजहाँपुर को आज दिनांक 08/06/2024 को सूचना मुखबिरी के आधार पर **समय करीब 13.20 बजे** प्राइमरी स्कूल सुन्दरपुर के पास से घटना में प्रयुक्त तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा कार0 315 बोर के गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त अजय सिंहः-

क्रम संख्या	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जिला
1	179/2018	4/25 आर्म्स एक्ट	कांट	शाहजहाँपुर
2	186/2024	307 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट	मदनापुर	शाहजहाँपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

- अजय सिंह पुत्र रतीपाल सिंह निवासी ग्राम सहजनपुर थाना मदनापुर जनपद शाहजहाँपुर

घटना का संक्षिप्त विवरण..........अवगत कराना है कि दिनांक 07.06.2024 को वादी रावेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामलडैते निवासी मो0 नई कालोनी नवादा इन्देपुर थाना कोतवाली शाहजाहंपुर के प्रार्थना पत्र पर बाबत अभियुक्त अजय सिंह पुत्र रतीपाल सिंह निवासी ग्राम सहजनपुर थाना मदनापुर जनपद शाहजहांपुर द्वारा वादी के पुत्र दीपक कुमार वर्मा के उपर तमंचे से जान से मारने की नियत से फायर करना जिससे वादी का पुत्र बुरी

तरह से घायल हो जाने के सम्बन्ध मे दाखिल की। जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0अ0 186/24 धारा 307 भादवि पंजीकृत किया गया। अभियुक्त अजय सिंह पुत्र रतीपाल सिंह निवासी ग्राम सहजनपुर थाना मदनापुर जनपद शाहजहांपुर को आज दिनांक 08/06/24 को थाना मदनापुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर प्राइमरी स्कूल सुन्दरपुर के पास से घटना में प्रयुक्त तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा कार0 315 बोर के गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त ने बताया कि साहब जल जीवन मिशन योजना के तहत गांव फाजिलपुर व करनपुर पडरी व अमरौली मे N.C.C लिमिटेड कम्पनी द्वारा पानी की टंकी व पाइप लाइन बिछाने का काम वर्ष 2022 से किया जा रहा है मैने तीनो गांव मे पाइप लाइन बिछाने व पम्प हाउस लगाने व टंकी के चारो तरफ बाउण्ड्रीवाल कराने का ठेका ले रखा है जिसमे मेरे अभी तक के काम के कम्पनी पर 34 लाख 82 हजार रुपये बने है कम्पनी ने मेरे खाते मे 9 लाख 96 हजार रुपये का पेमेंट शुरु मे कर दिया था तथा मेरा कम्पनी पर 24 लाख 86 हजार रुपये बकाया था कल दिनाकं 07/06/24 को जे0ई0 दीपक कुमार अपने साथी दुर्वेश के साथ ग्राम फाजिलपुर मे पानी की टंकी व काम का निरीक्षण करने आये थे मैने जे0ई0 दीपक कुमार वर्मा से कहा कि मेरा काम का कम्पनी पर 24 लाख 86 हजार रुपये बकाया है जिसके बिल आप पास कर दो जिससे मेरा कम्पनी से पेमेन्ट हो जायेगा क्योकि मुझे मिस्त्री व लेवर को रुपया देना है मिस्त्री व लेवर रुपया न मिलने कारण काम नही कर रही है तथा आये दिन मेरे घर पर आकर रुपयो के लिये मुझे परेशान कर रहे है जिससे मै बहुत टेंशन मे था तो जे0ई0 दीपक कुमार द्वारा बताया गया कि कम्पनी ने तुम्हारे खाते मे 5 लाख के बिल लगाया है तो मैने कहा कि यह बात तो आप पिछले 2,3 महीने से कह रहे है लेकिन मेरे खाते मे कोई पेमेंट नही आया। मैने जे0ई0 से पूरे बिल पास करके पेमेन्ट करने के लिये कहा तो जे0ई0 ने मना कर दिया जिस पर मेरी जे0ई0 दीपक कुमार वर्मा से कहासुनी हो गयी और मैने गुस्से मे अपने पास रखे तमंचे से दीपक कुमार वर्मा पर फायर कर दिया जो दीपक कुमार वर्मा के हाथ मे लगा और खून बहने लगा मै घबरा गया और वहा से भाग गया था साहब मैने यह तमंचा किसी राह चलते से खरीद लिया था जिसे मै अपनी सुरक्षा के लिये अपने पास रखता हूँ क्योकि एक दो बार पहले भी मेरी इनसे रुपयो के पेमेन्ट को लेकर कहासुनी हो चुकी है साहब मुझसे बहुत बडी गलती हो गयी है। मुझे माफ कर दो।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1. प्रभारी निरीक्षक अश्वनी कुमार थाना मदनापुर जिला शाहजहाँपुर।
2. उ0नि0 उदयवीर सिंह थाना मदनापुर जिला शाहजहाँपुर।
3. प्रशिक्षु उ0नि0 गौरव सोलंकी थाना मदनापुर जिला शाहजहांपुर।
4. हे0का0 सुबोध कुमार थाना मदनापुर जिला शाहजहाँपुर।